

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी  
जिला नीमकाथाना (राज.)

मिसल संख्या :- 260 / 2023

-: आदेश :-

दिनांक :- 29.04.2024

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र व तहसीलदार खेतड़ी की अभिशंषा रिपोर्ट क्रमांक राजस्व/2023/1163 दिनांक 19.12.2023 के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में राजस्व ग्राम तिहाड़ा की जमाबन्दी सम्वत् 2075-2078 के हाल खाता संख्या 29 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) खेतड़ी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है। खाते की शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। रहन यदि कोई हो, तो रहन मुक्त होने पर ही आदेश का अमल हो।

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1.	तिहाड़ा	29	नानूसिंह पुत्र रामसिंह खसरा नम्बर 246/62, 61,62,63 किता 4 कुल रकबा 0.66 हेक्टेयर	अजीत सिंह पुत्र राम सिंह

(सविता शर्मा)

RAS

उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी  
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

दिनांक :- 29-04-2024

क्रमांक :- पाठक / 2024 / 00-01

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार (भू0अ0) खेतड़ी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी अजीत सिंह पुत्र श्री राम सिंह जाति राजपूत निवासी तिहाड़ा तहसील खेतड़ी जिला नीमकाथाना राज0 को वास्ते सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी

